न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

बंटवारा वाद संख्या :– 16/2020
CIS No. :– PS/16/2020
CNR No. :– BRWC22–000054–2020

फुलमती देवी बनाम् **रामाशंकर बरई एवं अन्य**

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
09.02.2022	अभिलेख पेश हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादिनी एवं प्रतिवादिनी संख्या–3 के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 व 2 अनुपस्थित। पक्षकार विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र दिनांक 09.02.2022 पर सुना गया। **निस्तारण प्रार्थनापत्र दिनांक**–09.02.2022 प्रतिवादिनी संख्या–3 द्वारा प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि जरूरी कागजात समय से उपलब्ध नहीं होने के कारण बयान तहरीरी तैयार करने में विलम्ब हुआ है जिसके कारण बयान तहरीरी दाखिल करने में विलम्ब हुआ है। अतएव विलम्ब को माफ करते हुए प्रतिवादिनी संख्या–3 द्वारा दिनांक 09.12.2021 को दाखिल बयान तहरीरी को स्वीकार करते हुए अभिलेखावलित किये जाने की याचना की गयी है। वादिनी द्वारा मौखिक आपत्ति की गयी है। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन से विदित है कि वाद में प्रतिवादिनी संख्या–3 द्वारा बयान तहरीरी देरी से प्रस्तुत करने के कारण वाद की कार्यवाही में देरी हुयी है, जिसकी क्षतिपूर्ति हर्जा से किया जा सकता है। वाद के गुण दोष के आधार पर निस्तारित करने के लिए सभी अभिवचनो का अभिलेख पर उपलब्ध होने हेतु उक्त बयान तहरीरी को स्वीकार किया जाना आवश्यक है। प्रार्थनापत्र दिनांक 09.02.2022 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है। **आदेश** प्रार्थनापत्र दिनांक 09.02.2022 रू० 500/– हर्जे पर स्वीकार	

न्यायालय— अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

बंटवारा वाद संख्या :— 16/2020
CIS No. :— PS/16/2020
CNR No. :— BRWC22–000054–2020

फुलमती देवी बनाम् **रामाशंकर बरई एवं अन्य**

लगातार **09.02.2022**	किया जाता है। तत्पश्चात दिनांक 09.12.2021 को दाखिल बयान तहरीरी को स्वीकार करते हुए अभिलेखावलित किया जाता है। प्रतिवादिनी संख्या—3 को आदेशित किया जाता है कि वह हर्जा अगामी नियत तिथि तक वादिनी को अदा करना सुनिश्चित करें। हर्जा अदायगी पर ही प्रार्थनापत्र दिनांक 09.02.2022 स्वीकृत माना जायेगा। अभिलेख वास्ते हर्जा अदायगी/धारा—89 सिविल प्रक्रिया संहिता पर सुनवाई हेतु दिनांक—16.03.2022 को पेश हो। अवर न्यायाधीश तृतीय न्याय कक्ष—4 नरकटियागंज।	